भारत सरकार
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

पेटेंट अधिग्रहण तथा सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (पेस)

वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावों को आमंत्रित करना – नौवां बैच

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) पेस स्कीम के अंतर्गत नवप्रवर्तक उत्पाद/प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रदर्शन के लिए वाणिज्यीकरण लायक, संकल्पना के साक्ष्य अथवा प्रयोगशाला सतर से पायलट सतर तक के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ***पंजीकृत भारतीय कंपनियों/फर्मों/लघु तथा मध्यम उद्यमों इत्यादि*** से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट http://www.dsir.gov.in/#files/12plan/pace/pace.html पर ***पेस*** दिशानिर्देशों (नवंबर 2017) का अवलोकन करें।

पेस स्कीम की मुख्य विशेषताएँ:

- उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन तथा विकास (अकेले अथवा अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षिक संस्थान/ विश्वविद्यालय के सहयोग से)।
- भारतीय उद्योग को ऋण तथा सहयोगात्मक परियोजना में अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षिक संस्थान/विश्वविद्यालय को अनुदान। सहयोगात्मक परियोजना में अनुदान ऋण के साथ स्वीकृत होगा एवं यह स्वीकृत ऋण से अधिक नहीं होगा। ऋण बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षित होगा जो ऋण राशि से तैंतीस एवं एक तिहाई प्रतिशत अधिक होगा।
- यह स्कीम औद्योगिक रूप से उपयोगी अनुप्रयोगों के लिए अग्रणी किसी भी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र* में प्रस्तावों को सहायता प्रदान करेगी। ऊर्जा दक्षता, कम लागत ऑटोमेशन, आई ओ टी, ए वी/वी आर, आदि से संबंधित नवाचारी परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
- यह स्कीम उन प्रस्तावों को सहायता प्रदान करेगी जो संकल्पना-के-साक्ष्य के प्रमाण प्रस्तुत करती हो एवं अपूरित आवश्यकताओं को पूर्ण करती है।
- महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों की अगुवाई वाली परियोजनाओं सहित, महिलाओं को लाभ प्रदान करने पर केंद्रित परियोजनाओं पर विचार।

**विशुद्ध जैव-प्रौद्योगिकी एवं सेवा प्रारूप के सॉफ्टवेर क्षेत्र के प्रस्तावों के अलावा।*

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पात्रता :

- कंपनी भारत में पंजीकृत हो और उसका वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड सुदृढ़ हो अथवा सुदृढ़ वित्तीय स्वास्थ्य का पूर्वानुमान हो ।
- भारतीय नागरिकों के पास, अप्रवासी भारतीयों सहित, कंपनी के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।
- उद्योग के पास स्वंय द्वारा विकसित अथवा अधिगृहित आई पी स्वामित्व (पेटेंटेड या अनपेटेंटेड) होना चाहिए, जिसे प्रस्तावित परियोजना में मूल्य वर्धन अथवा अप-स्केलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- उन उद्योगों को जिनकी अनुसंधान एवं विकास इकाई डीएसआईआर से मान्यता प्राप्त हैं उनको वरीयता दी जाएगी।
- उद्योग यह साक्ष्य प्रस्तुत करने की सथिति में अवश्य होना चाहिए कि वह परियोजना में अपनी निधि की हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम होगा।
- सहयोगी सहभागी, यदि लागू हों तो, भारतीय सार्वजनिक वित्त प्राप्त अनुसंधान संस्थान होना चाहिए जिसे कम से कम संस्थान के आवर्ती खर्चों का न्यूनतम 50 प्रतिशत सरकार से प्राप्त हो।

आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश

निर्धारित दिशा-निर्देश तथा आवेदन का प्रारूप www.dsir.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदकों को अपने प्रस्ताव की पांच हार्ड प्रतियां विधिवत हस्ताक्षर करके, पेन ड्राइव के साथ "गोपनीय, पेस प्रोजेक्ट" लिखे लिफाफे में **प्रमुख (पेस)**, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016 को भेजना होगा। साथ ही, प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी (एमएसवर्ड, न कि पीडीएफ फाइल) ई-मेल के माध्यम से vipin.shukla@gov.in को भिजवाना होगा।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
डॉ. विपिन सी. शुक्ला, वैज्ञानिक 'एफ'
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेक्नोलॉजी भवन, नया मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली -110016
ईमेल: vipin.shukla@gov.in
दूरभाष: 26859460/26590463

नौवें बैच के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 30 जून, 2020